न्यायालय जिला कलक्टर, अजमेर जिला अजमेर

रसद प्रा. पत्र सं. 02/2021
सुपुर्दगीनामा प्रार्थना पत्र– 02/2022

राजस्थान सरकार जरिये, श्री नीरज जैन, प्रवर्तन अधिकारी, अजमेर । ....प्रार्थी

बनाम

1. श्री शंकर सिंह रावत प्रोपराईटर– मैसर्स नीलकण्ठ पंजाबी होटल(ढाबा) एन.एच. 79, ग्राम पंचायत न्यारा तहसील–नसीराबाद
2. श्री नरेन्द्र सिंह रावत पुत्र सायर सिंह निवासी सेन्दरियाँ तहसील–नसीराबाद

उपस्थित :–

...........अप्रार्थीगण

श्री नीरज जैन प्रवर्तन अधिकारी पेरोकार सरकार
श्री चन्द्रभान सिंह, भूपेन्द्र सिंह राठौड अभिभाषक अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अ. धारा 6 ए. आवश्यक वस्तु अधिनियम

आदेश

दिनांक– 11.05.2022

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र तथ्य इस प्रकार से है कि दिनांक 11.03.2021 को पुलिस उपअधीक्षक नसीराबाद से अप्रार्थी शंकर सिंह रावत द्वारा गुंदा चौराहा, एन.एच.79, ग्राम पंचायत न्यारा तहसील नसीराबाद स्थित मैसर्स नीलकण्ठ पंजाबी होटल (ढाबा) के पीछे ल्यूब्रिकेन्ट ऑयल की अवैध खरीद, बिकी एवं भण्डारण किये जाने की प्राप्त सूचना पर जिला रसद अधिकारी अजमेर के आदेशानुसार गठित जांच दल द्वारा मौके पर पहूँच कर जांच की गई। मौके पर मय पुलिस जाब्ता मौजूद सुनील सिहाग ने बताया कि इस सम्पति का मालिक अप्रार्थी संख्या 01 शंकर सिंह रावत है जो अभी फरार है। मौके की अवस्थिति का अवलोकन करने पर पाया कि एक बाडा (परिसर) के प्रवेश द्वार की बांयी ओर स्थित एक कमरें में ल्यूब्रिकेन्ट ऑयल के अनेक ड्रम पुरे भरे हुए, कुछ कम भरे हुए पाये गये। दौराने जांच मौके पर उपस्थित अप्रार्थी संख्या 02 ने पुछताछ में इस परिसम्पत्ति का मालिक अप्रार्थी संख्या 01 श्री शंकरसिंह पुत्र नन्द सिंह को तथा स्वयं को 15000/–रूपये मासिक पर काम करना बताया। ल्यूब्रिकेन्ट ऑयल की खरीद के बारे में पूछने पर सप्लाई करने वाले कुछ ड्राईवर अप्रार्थी संख्या 01 श्री शंकरसिंह को 40/– लीटर की दर से अवैध ल्यूब्रिकेन्ट ऑयल देना एवं 100/–रूपये प्रति लीटर की दर से वापिस बेचना बताया गया। अप्रार्थीगण द्वारा प्रति माह 8–10 बैरल(ड्रम) (प्रति बैरल 220 लीटर) विकय किया जाना भी स्वीकार किया गया। अप्रार्थी संख्या 02 द्वारा यह भी अवगत करवाया गया कि अधिकतर स्थानीय ग्राहक है जो ट्रेक्टर आदि में इंजन ऑयल के रूप में इसे काम मे लेते है। उपरोक्त तथ्यों के फलस्वरूप अप्रार्थीगण का ल्यूब्रिकेन्ट ऑयल के अवैध कारोबार में लिप्त होना प्रमाणित पाया गया। इस कारोबार बाबत उनके पास कोई वैध दस्तावेज, लाईसेंस, सक्षम अनुज्ञापन इत्यादि नहीं था। ऐसी स्थिति में जिला रसद अधिकारी अजमेर प्रथम द्वारा तीनों कमरों में उपलब्ध 47 ड्रम जिनमें 8735 लीटर ल्यूब्रीकेन्ट ऑयल था, ड्रम से तेल निकालने के पांच

जिला कलक्टर
अजमेर

बडे नोजल, 03 छोटे नोजल बिना पाईप के व तेल के माप 10 लीटर, 05 लीटर, 02 लीटर, 01 लीटर, 5 कीप(कूपीनुमा) राजहित में कब्जे लेकर जब्त की गई। जब्त शुदा समस्त सामग्री अग्रिम आदेश तक यथावत एवं सुरक्षित रखने हेतु श्री बच्छराज सिंह सउनि पुलिस थाना नसीराबाद सदर को सुपुर्द की गई। इस सामग्री का अनुमानित मूल्य 8,95,300/– रूपये है। जांच हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला भिजवाने हेतु नियमानुसार नमूना लिया गया। अप्रार्थीगण के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत थाना सदर नसीराबाद में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। अप्रार्थीगण का यह कृत्य स्नेहक और ग्रीस (प्रसंस्करण, प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 1987 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लघन है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6 ए के तहत कब्जे राज लिये गये 47 ड्रम मय 8735 लीटर ल्यूब्रीकेन्ट ऑयल, ड्रम से तेल निकालने के पांच बडे नोजल, 03 छोटे नोजल बिना पाईप के व तेल के माप 10 लीटर, 05 लीटर, 02 लीटर, 01 लीटर, 5 कीप(कूपीनुमा) को राजसात करने के आदेश हेतु प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण जरिये अभिभाषक उपस्थित आये। अप्रार्थी संख्या एक के पुत्र विजयप्रताप सिहं रावत की ओर से एक सुपुर्दगीनामा प्रार्थना पत्र जब्त 8735 लीटर ल्यूब्रीकेन्ट ऑयल एवं अन्य सामग्री सुपुर्दगीनामा पर छोडे जाने हेतु प्रस्तुत किया गया। जिसे अलग से दर्ज किया जाकर जिला रसद अधिकारी अजमेर एवं थानाधिकारी पुलिस थाना, नसीराबाद सदर से टिप्पणी तलब की गई। तथा सुपुर्दगीनामा प्रार्थना पत्र मूल 6 ए प्रकरण के साथ सुनवाई हेतु पेश होने के आदेश दिये गये। सुनवाई चाहने पर उभयपक्ष को मूल 6 ए प्रकरण, मय सुपुर्दगीनाम प्रार्थना पत्र के सुना गया।

पैरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि दिनांक 11.03.2021 को पुलिस उपअधीक्षक नसीराबाद से अप्रार्थी शंकर सिंह रावत द्वारा गुंदा चौराहा, एन.एच.79, ग्राम पंचायत न्यारा तहसील नसीराबाद स्थित मैसर्स नीलकण्ठ पंजाबी होटल (ढाबा) के पीछे ल्यूब्रिकेन्ट ऑयल की अवैध खरीद, बिक्री एवं भण्डारण किये जाने की प्राप्त सूचना पर जिला रसद अधिकारी अजमेर के आदेशानुसार गठित जांच दल द्वारा मौके पर पहूँच कर जांच की गई। मौके पर मय पुलिस जाब्ता मौजूद सुनील सिहाग ने बताया कि इस सम्पति का मालिक अप्रार्थी संख्या 01 शंकर सिंह रावत है, जो अभी फरार है। मौके की अवस्थिति का अवलोकन करने पर पाया कि एक बाडा (परिसर) में प्रवेश करते ही बांयी ओर स्थित एक कमरें में ल्यूब्रिकेन्ट ऑयल के अनेक ड्रम भरे हुए पाये गये। दौराने जांच मौके पर उपस्थित अप्रार्थी संख्या 02 ने पुछताछ में इस परिसम्पत्ति का मालिक अप्रार्थी संख्या 01 श्री शंकरसिंह पुत्र नन्द सिंह को तथा स्वयं को 15000/–रूपये मासिक वेतन पर काम करना बताया। ल्यूब्रिकेन्ट ऑयल की खरीद के बारे में पूछने पर, सप्लाई करने वाले कुछ ड्राईवर अप्रार्थी संख्या 01 श्री शंकरसिंह को 40/– लीटर की दर से अवैध ल्यूब्रिकेन्ट ऑयल देना एवं 100/–रूपये प्रति लीटर की दर से वापिस बेचना बताया गया। अप्रार्थी संख्या 02 द्वारा मौके पर प्रति माह 8–10 बैरल(ड्रम) (प्रति बैरल 220 लीटर) विक्रय किया जाना भी स्वीकार किया गया। अप्रार्थी संख्या 02 द्वारा यह भी अवगत करवाया गया कि अधिकतर स्थानीय ग्राहक है जो ट्रेक्टर आदि में इंजन ऑयल के रूप में काम मे लेते है। उपरोक्त तथ्यों के फलस्वरूप अप्रार्थीगण का ल्यूबिकेन्ट ऑयल के अवैध कारोबार में लिप्त होना प्रमाणित पाया गया। इस कारोबार बाबत उनके पास कोई वैध दस्तावेज, लाईसेल्स, सक्षम अनुज्ञापन इत्यादि नहीं था। ऐसी स्थिति में जिला रसद अधिकारी अजमेर प्रथम द्वारा तीनों कमरों में उपलब्ध 47 ड्रम मय 8735 लीटर ल्यूब्रीकेन्ट ऑयल, ड्रम से तेल निकालने के पांच बडे

जिला कलक्टर
अजमेर

नोजल, 03 छोटे नोजल बिना पाईप के व तेल के माप 10 लीटर, 05 लीटर, 02 लीटर, 01 लीटर, 5 कीप(कूपीनुमा) राजहित में कब्जे लेकर जब्त किया जाकर अग्रिम आदेश तक यथावत एवं सुरक्षित रखने हेतु श्री बच्छराज सिंह सउनि पुलिस थाना नसीराबाद सदर को सुपुर्द की गई है। सामग्री का अनुमानित मूल्य 8,95,300/– रूपये है। जांच हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला भिजवाने हेतु नियमानुसार नमूना लिया गया। अप्रार्थीगण के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत थाना सदर नसीराबाद में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। अप्रार्थीगण का यह कृत्य स्नेहक और ग्रीस (प्रसंस्करण, प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 1987 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लघन है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6 ए के तहत कब्जे राज लिये गये 47 ड्रम मय 8735 लीटर ल्यूब्रीकेन्ट ऑयल, ड्रम से तेल निकालने के पांच बडे नोजल, 03 छोटे नोजल बिना पाईप के व तेल के माप 10 लीटर, 05 लीटर, 02 लीटर, 01 लीटर, 5 कीप(कूपीनुमा) को राजसात करने के आदेश फरमावें।

अप्रार्थीगण की ओर से मुख्यतः निवेदन किया कि जब्त सामग्री का मालिक सुपुर्दगीनामा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर्ता श्री विजय प्रताप सिंह रावत पुत्र श्री शंकर सिंह रावत है। प्रार्थी/सपुर्दगीगार ही उक्त फर्म का रजिस्टर्ड स्वामी है। प्रकरण में प्रार्थी को झुठा फॅसाया जाकर सामग्री को जब्त किया गया है। जब्त सामग्री रख रखाव के अभाव में क्षतिग्रस्त हो रही है। अतः जब्त समस्त सामग्री न्यायालय की शर्तो पर सुपुर्दगीनामें पर छोडने के आदेश प्रदान करावें।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया रेकार्ड पत्रावली का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि पुलिस उपअधीक्षक नसीराबाद से अप्रार्थी शंकर सिंह रावत द्वारा गुंदा चौराहा, एन.एच.79, ग्राम पंचायत न्यारा तहसील नसीराबाद स्थित मैसर्स नीलकण्ठ पंजाबी होटल (ढाबा) के पीछे ल्यूब्रिकेन्ट ऑयल की अवैध खरीद, बिक्री एवं भण्डारण किये जाने की प्राप्त सूचना पर जिला रसद अधिकारी अजमेर के आदेशानुसार गठित जांच दल द्वारा मौके पर पहूंच कर जांच की गई। जांच में अप्रार्थीगण का ल्यूब्रिकेन्ट ऑयल की अवैध खरीद, बिक्री एवं भण्डारण किया जाकर ल्यूब्रिकेन्ट ऑयल के अवैध कारोबार में लिप्त होना प्रमाणित पाया गया। इस कारोबार बाबत उनके पास कोई वैध दस्तावेज, लाईसेल्स, सक्षम अनुज्ञापन इत्यादि नहीं था। थानाधिकारी पुलिस थाना नसीराबाद सदर से प्राप्त टिप्पणी दिनांक 15.2.2022 मुताबिक प्रकरण हाजा में बाद अनुसंधान चार्जशीट नम्बर 242/2021 दिनांक 08.10.2021 धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम में अप्रार्थीगण के विरूद्ध किता की जाकर चालान दिनांक 26.11.2021 को न्यायालय श्रीमान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अजमेर के समक्ष पेश होकर विचाराधीन है। अप्रार्थीगण का यह कृत्य स्नेहक और ग्रीस (प्रसंस्करण, प्रदाय और वितरण विनियमनआदेश1987 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लघन पाये जाने पर ही मौके पर तीनों कमरों में उपलब्ध 47 ड्रम मय 8735 लीटर ल्यूब्रीकेन्ट ऑयल, ड्रम से तेल निकालने के पांच बडे नोजल, 03 छोटे नोजल बिना पाईप के व तेल के माप 10 लीटर, 05 लीटर, 02 लीटर, 01 लीटर, 5 कीप(कूपीनुमा) आदि सामग्री की जब्ती कार्यवाही की गई है। चूंकि अप्रार्थी0 द्वारा ऐसे कोई आधारभूत कथन, दस्तावेजी साक्ष्य, सबूत के नही किये गये है, जो प्रार्थना पत्र कथनों का खण्डन करते। थानाधिकारी पुलिस थाना नसीराबाद सदर द्वारा बाद अनुसंधान धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत अप्रार्थीगण के विरूद्ध सक्षम सिविल न्यायालय में चार्जशीट पेश की जा चुकी है। जिला रसद अधिकारी द्वारा गठित जांच दल, पुलिस जाब्ता को वरवक्त जांच मौके पर ल्यूब्रिकेन्ट ऑयल का अनाधिकृत रूप से भण्डारण एवं व्यवसाय किया जाना पाया गया है। फर्द मौका एवं जब्ती, नजरी नक्शा, एवं

जिला कलक्टर
अजमेर

मौके पर 47 ड्रम जिनमें 8735 लीटर ल्यूब्रीकेन्ट ऑयल था, ड्रम से तेल निकालने के पांच बडे नोजल, 03 छोटे नोजल बिना पाईप के व तेल के माप 10 लीटर, 05 लीटर, 02 लीटर, 01 लीटर, 5 कीप(कूपीनुमा) आदि सामग्री के पाये जाने से भी अप्रार्थीगण के ल्यूब्रिकेन्ट ऑयल के अवैध भण्डारण एवं कारोबार की पुष्टि होती है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर जब्तशुदा 47 ड्रम मय 8735 लीटर ल्यूब्रीकेन्ट ऑयल, ड्रम से तेल निकालने के पांच बडे नोजल, 03 छोटे नोजल बिना पाईप के व तेल के माप 10 लीटर, 05 लीटर, 02 लीटर, 01 लीटर, 5 कीप (कूपीनुमा) आदि सामग्री को राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते है। प्रार्थना पत्र सुपुर्दगीनामा सार हीन होने से इसी स्तर पर इसी कदर से फैसल शुमार हों।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 11.05.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अंश दीप)
जिला कलक्टर,
अजमेर